Proceedings of Environmental Public hearing for the Environmental Clearance project proposal submitted by Sh. Sham Singh, Partner M/s Nandi Stone Crusher, VPO Kandwal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 726 & 727 falling measuring area 02-80-52 Hect. (Pvt. Land River Bed) @ 114570 TPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted bySh. Sham Singh, Partner M/s Nandi Stone Crusher, VPO Kandwal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 726 & 727 falling measuring area 02-80-52 Hect. (Pvt. Land River Bed) @ 114570 TPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. was conducted on date:02.07.2025at Samudayik Bhawan Kayal, PO Khanni, near Ram Leela Manch Kayal, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006 & and as per the notification no: S.O. 2163 (E), dated: 09/05/2022.This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sh. Arun Sharma, SDM Nurpur according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from different departments and Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er Rahul Sharma, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairperson, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairperson was requested to permit to start the public hearing.

The Chairperson permitted to start the process of public hearing and the project proponent was requested to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairperson also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh. Lal Singh, S/o Sh. Hari Ram, Village Kayla, PO Khanni, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairman, officers and officials of various departments & local residents and informed that the promises are being made here from last several years only and no action is being taken on them. He informed that there is no road for the crematorium ground and JCB is used to make the road for the crematorium every time but the Forest Department stop it as the land pertains to Forest Department. The people of our village make the road on their own. He asked why the road for crematorium ground is not being made till date and assurance is only given here every time in the public hearing.	The project consultant informed that the issue raised by you for construction of the road to crematorium ground is not related to this mining project. Therefore, this matter should be taken up with concerned departments in writing on behalf of villagers.
		Chairman assured that he will take up the matter of road construction to the cremation ground matter at his own level with the Block Development Officer. He further requested to Sh. Lal Singh, S/o Sh. Hari Ram, Village Kayla, PO Khanni, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. to contact his office or the office of the Block Development Officer for the problem of road to cremation ground. Apart from this, he requested to everyone to give his views regarding this proposed mining project in this public hearing.	
		He said that permission has been granted for mining activities here up to depth of 1 to 2 meters, but mining has been done up to 06 meters here. Due to which the level of the land in the area has elevated above from the water level of the Khad. The water level has lowered down makes it difficult to irrigate the land and hence, the land become barren due to this. The people are facing a lot of difficulties. He asked if the mining is done beyond the norms then who	The project consultant informed that the mining is allowed up to 02 meter in this proposed mining project. If the mining is carried out above the allowed capacity, then complaint could be filed to the Mining Department.

		isheld responsible for that.	
2	Sh. Anil Sharma, S/o Sh. Sukh Ram Sharma, VPO Kayla, Tehsil & District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairperson, officers & officials of various departments and the local residents. He informed that the cemented slabs have been lying here for a long time which is to be used for the construction work of road to cremation ground. In previous public hearings which was already conducted in this panchayat and the assurance was given for the construction of the road but it was not fulfilled and the road has not been built yet. Apart from this, there is no objection if mining is carried out as per norms. In monsoon season, the mined area becomes deeper due to which the water level of Khad (water body) has lowers down. There was a water scheme here, with cost around Rs 26 lakh have been spent. But the scheme has been shut down for 02 years due to the water level going down. Funds are required for its rejuvenation. He requested to the Chairman and crusher owners for their cooperation to rejuvenate this water scheme, so that it could be used again.	The consultant of the project informed that there are about 04 to 05 mining leases in this village and the issues raised by you during this public hearing might be seen during the videography of this public hearing and it could be included in the social works by the committee. Apart from this, there is a District Mineral Fund and the concerned Panchayats can claim funds from District Mineral Fund and this funds could be used for the development works of the concerned Panchayats. He said that if the local administration take up the matter with the mining project approval committee in Shimla, then this issue of Panchyats could be considered.
3	Sh Deepak Sharma, VPO Baduhi, District Kangra H.P.	He said that people are getting employment from the crusher industry for their livelihood. Therefore, the crusher industry should be allowed here. Apart from this, illegal mining should be banned and mining activities should be done as per the norms.	----------------
		The Chairperson again requested everyone to give their views/suggestions regarding this proposed mining lease project.	
4	Sh Suresh Kumar, VPO Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra	He said that Crusher industry is beneficial to us as it provides employment opportunities here. Apart from this, he said that	The project consultant informed that the depth of mining will be done up to 02 meters only. The mined material will recovered back

	H.P.	mining should not be done beyond the norms. The stone crusher owners also provide the material to poor families at nominal rates. The Assistant Environmental Engineer, HPSPCB Dharamshala has requested to project proponent to give the detailed description to the public about the proposed mining project.	in the mined lease area in monsoon season, and the mining will done again up to 02 meters depth. He informed that the mining department has suspended mining leases for 03 months during the monsoon season. So mining activities will be done only after the monsoon season. Apart from this, the width of the Khad is 600 meters, the mining activities will not be done in the 60 meters of the banks of the proposed mining lease area. When mining activities are done, the water level of Khad lowers done and this will protect from flood as well. In this project, the lease holders can be suggested and asked to protect the land by constructed/provide the crate wall. The employment opportunities will be generated due to mining activities. The panchayats will also get fundsfor mining activities here and these funds can be used for the development works of the panchayat.
5	Sh. Prem Lal, Ward No. 4, Village & PO Kayla, District Kangra H.P.	He requested to make a road for the crematorium. He informed that 04 to 05 public hearing meetings was already conducted here, but no concrete solution has been provided for the construction work of the road to crematorium here. He again stressed upon the requirement of the construction of road to the crematorium.	Er. Rahul Sharma, Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board informed that the Chairman had already tell about the action for the road to the cremation ground.
6	Sh. Somraj, R/o Village & PO Kayla, District Kangra H.P.	He also requested for construction of a road to the cremation ground.	The project consultant told that the main issue recorded during this public hearing is related to road to the crematorium ground and further informed that this videography will also be seen during the approval of this proposed mining project and look

			upon the issue raised by the people here and the approval committee can also send the case for construction of roads through the mining lease holders of this area. Apart from this, the owner of the project assured that whenever the committee gives environmental clearance to this mining project they will request for construction of road to the crematorium doing in Corporate Social Responsibility, so that the road can be constructed.
7	Sh. Rattan Singh, Village Kayla, Tehsil Nurpur District Kangra.	He said that this proposed mining lease is in private land but who has given the permission for mining activities in Sokanvela area to Batrah area in 03 km of Chakki area which is Government Land. He also told that mining activities are closed at present but illegal mining activities are still being done.	The project consultant told that this could be the case of illegal mining. So you can report it to the concerned department. Mining Officer requested to Shri Ratan Singh to take our field officer to the concerned area and he said that the same will be inspected by himself also. Apart from this, he informed that action is being taken against illegal mining activities on routine basis. He informed that they are facing a lot of difficulties in the area to take necessary action against the illegal mining activities due to some interstate boundaries between Himachal Pradesh and Punjab and also faced difficulty in implementing the proceedings. Apart from this, he informed that some mining leases have also been allotted there. And in case if illegal mining activities are observed during the inspection, then action will be initiated as per the rules.
8	Sh. Anil Sharma, S/o Sh. Sukh Ram Sharma, VPO Kayla, Tehsil & District Kangra H.P.	He said that the area mentioned by Shri Ratan Singh Ji falls in Pail of Chakki area which is in Himachal Pradesh and he is Lambardar of this area and well known about the boundaries of the area. He	The mining officer informed that mentioned area is situated on the border of two states and lot of difficulties comes during implementing the action. Apart from this, the area falls in

		informed that People from Punjab is carried out the illegal mining here and even a lot of illegal mining is going on here presently. Many videos have been made about illegal mining activities but no proceedings have been initiated against them. He requested that he should contact for information about illegal mining in the said area. Apart from this, he supported mining activities as per the rules. Additionally, he requested that the revenue from mining activities should come to this Panchayat, so that our Panchayats can develop.	Himachal Pradesh boundaries and action is being initiated against the violators. He assured Sh. Anil Kumar that he would be contacted for further action regarding illegal mining in the said area. The mining officer informed that whenever mining leases are then a panchayat tax of Rs. 10/ton is deposited in the Panchayat. And this money transfer from the mining department to the Panchayat fund, for which the concerned District Panchayat Officer can be approached and can enquired about it. Apart from this, under the District Mineral Fund, you can spend Rs 10 per ton for the development works of the panchayats within the 3 km of concerned mining lease area. Therefore, you are requested to submit a proposal in the Panchayat and send it to the Deputy Commissioner. So that the amount can be spent on the development work of the Panchayat. For this you can also visit to the Mining Department office and get information.

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairperson thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. And the main issue in this public hearing is of the road for the cremation ground. In this regard I would like to tell you that this issue is mainly related to the SDM office, Rural Development Department and the Forest Department as the road is on the land of the Forest Department. He informed that further action will be taken by taking up the matter with all the concerned departments for the road. Apart from this, you are requested to prepare a proposal for funds to install culverts and send it through the Panchayat. So that money for culverts can be sanctioned from the District Mineral Fund. For this, he also requested all the authorized departments to take

action against illegal mining activities. The Chairman requested the Jal Shakti Vibhag to visit the spot and take appropriate action on the issues raised regarding irrigation of land in this area. He said that the suggestions were given by the public, this all has been recorded in written and videography has also been done. This will be sent to Government and further decision shall be taken by the Government. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Rahul Sharma, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Arun Sharma, H.A.S.,
Sub Divisional Magistrate,
Nurpur,
District Kangra H.P.

श्री शाम सिंह, पार्टनर मैसर्स नंदी स्टोन क्शर, गांव एवं डाकघर कंडवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 726 एवं 727 कुल क्षेत्रफल 02–80–52 हैक्टेयर (निजी भूमि/नदी पटटा), मोहाल मैरा बत्रा, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह (लघू खनिजों के खनन)/1,14,570 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्री शाम सिंह, पार्टनर मैसर्स नंदी स्टोन क्शर, गांव एवं डाकघर कंडवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 726 एवं 727 कुल क्षेत्रफल 02–80–52 हैक्टेयर (निजी भूमि/नदी पटटा), मोहाल मैरा बत्रा, मौजा मैरा डूमल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन (लघू खनिजों के खनन)/1,14,570 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.07.2025 को 12:30 बजे सामुदायिक भवन कायल, डाकघर कायल, ग्राम पंचायत हडल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 एवं एवं अधिसूचना सं0: –एस0ओ0 2163 दिनांक 09/05/2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपमण्डल दण्डाधिकारी, नूरपुर, जिला कांगडा (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 राहुल शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री लाल सिंह स्पुत्र श्री हरी राम, गांव कायला, डाकघर खन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और बताया कि पिछले कई बर्षो से यहां पर सिर्फ वायदे ही किए जा रहे हैं और उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। जैसे कि यहां पर शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है और उसे बनाने के लिए जे0सी0वी0 का उपयोग करना पड़ता है परन्तु बन विभाग द्वारा उसे बंद करवा दिया जाता है। हमारे गांव के लोगों द्वारा हर बार शमशानघाट के लिए अपने स्तर पर रास्ते का निर्माण किया जाता है। उन्होंने पूछा कि यह रास्ता क्यों नहीं बन रहा है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि आपके द्वारा उठाया गया मुददा इस खनन पटटे से सम्बन्धित नहीं है। अतः शमशान घाट के रास्ते के लिए आप समस्त ग्राम–बासियों की तरफ से लिखित रुप में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

		अध्यक्ष महादेय द्वारा आश्वशत किया कि वह शमशान घाट के लिए रास्ते हेतू खण्ड विकास अधिकारी से मामला अपने स्तर पर भी उठाएगें। उन्होंने श्री लाल सिंह स्पुत्र श्री हरी राम, गांव कायला, डाकघर खन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 से शमशान घाट के लिए रास्ता की समस्या के समाधान हेतू उनके कार्यालय या खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करने हेतू अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस खनन पटटे से सम्बन्धित विचार रखने हेतू अनुरोध किया।	
		श्री लाल सिंह द्वारा पूछा गया कि आप यहां खनन करने के अनुमति देते है और यहां पर 1 से 2 मीटर तक खनन करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन यहां पर 06 मीटर तक खुदाई कर दी जाती है। जिससे यहां जमीन का स्तर खडड से काफी उपर हो चुका हैं और पानी का स्तर नीचे जा चुका है जिससे यहां की जमीनों की सिचांई करना मुश्किल है जिससे वह बंजर हो चुकी है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर जो नियमों से ज्यादा खनन किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि इस प्रस्तावित खनन परियोजना में केवल 02 मीटर तक खनन का प्रावधान है और उससे ज्यादा खनन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 02 मीटर से ज्यादा खनन होने पर उसकी शिकायत खनन अधिकारी को कर सकते हैं।
2.	श्री अनिल शर्मा स्पुत्र श्री सुख राम शर्मा, गांव एवं डाकघर कायला, तहसील व जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि यहां पर शमशान घाट बनाने के लिए काफी समय से पुलिया पड़ी है। पिछली बार जन–सुनवाई में भी रास्ते के निर्माण हेतू आश्वशत किया गया था परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया और वह नहीं बना है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार खनन होने पर किसी को कोई आपति नहीं है। परन्तु बरसात में खनन की गई जगह ओर गहरी हो जाती है जिससे पानी का स्तर ओर नीचे हो जाता है। उन्होंने बताया कि यहां पर एक पानी की योजना थी, जिसमें लगभग 26 लाख रु0 तक का खर्च हो चुका है। परन्तु पानी स्तर नीचे हो जाने के कारण वह योजना 02 बर्ष से बंद है और उसके पुनउत्थान व उसे ओर अधिक गहरा करने के लिए पैसो की जरुरत है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय व क्रशर मालिकों से उस परियोजना की मुरम्मत व गहरा करने के लिए सहयोग करने की अपील की, ताकि उसका योजना को दोबारा उपयोग किया जा सके।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि इस गांव में लगभग 04 से 05 खनन पटटे हैं तो उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में इस विडियोग्राफी में आपके द्वारा उठाए गये मुददों को शामिल किया जा सकता है और उसमें आपके द्वारा उठाए गये मुददों को कमेटी द्वारा सामाजिक कार्यों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला मिनरल फंड होता है जिसमें गांव व पंचायतो को पैसा आता है और उसका उपयोग भी पंचायत के विकास कार्यों में भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्थानीय कमेटी से शिमला में इस बारे लिखित में कार्यवाही होती है तो वहां पर इस मुददे को अमल में लाया जा सकता है।
3.	श्री दीपक शर्मा, गांव एवं डाकघर वदूही, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि क्रशर उधोग से काफी लोगों का रोजगार मिल रहा है और अपना जीवनयापन कर रहे हैं। अतः क्रशर उधोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अवैध खनन बंद होना चाहिए	————————

		और खनन नियमानुसार होना चाहिए।	
		अध्यक्ष महादेय द्वारा उपस्थित महिलाओं से भी इस खनन पटटे से सम्बन्धित विचार रखने हेतू अनुरोध किया।	
4.	श्री सुरेश कुमार, गांव व डाकघर हडल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि क्रशर होना काफी अच्छा है इससे यहां पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि नियमों से ज्यादा खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्रशर मालिकों द्वारा यहां पर गरीब परिवारों को निम्न मुल्यों पर मैटिरियल भी उपलब्ध करवाते हैं। सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना परामर्शदाता से इस प्रस्तावित खनन परियोजना बारे अवगत करवाने हेतू अनुरोध किया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि खनन की गहराई 02 मीटर ही होगी और आगामी बरसात में खनन की गई जगह में फिर से मैटिरियल आ जाएगा और दोबारा 02 मीटर तक ही खनन किया जाएगा। खनन विभाग द्वारा बरसात में 03 महीने हेतू खनन कार्य बंद कर दिया जाता है, तो इसमें बरसात के बाद ही खनन कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नदी की चौड़ाई 600 मीटर है तो इसके किनारे के 60 मीटर में खनन कार्य नहीं किया जाएगा। खनन होने पर खडड का स्तर नीचे होने पर बाढ़ आने में राहत मिलेगी। इसके अलाबा इसमें पटटा धारक को कैट वाल बनाकर जमीनों को बचाने हेतू भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त खनन होने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। और खनन होने पर पंचायतों को भी पैसा मिलेगा, जिसे वह पंचायत के विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं।
5.	श्री प्रेमलाल, बार्ड न0 04, गांव व डाकघर कायला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने शमशान घाट के लिए रास्ता बनवाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यहां पर 04 से 05 बार मिटिगं हो चुकी है परन्तु शमशान घाट के लिए कोई भी रास्ते का प्रावधान नहीं हुआ है। अतः हमारे शमशान घाट के लिए रास्ते का प्रावधान होना चाहिए।	ई0 राहुल शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनः बताया गया कि शमशान घाट के रास्ते हेतू पहले श्री अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवा दिया गया है।
6.	श्री सोमराज, निवासी गांव व डाकघर कायला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने शमशान घाट के लिए रास्ता बनवाने के लिए अनुरोध किया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि यहां पर मुख्य समस्या रास्ते की है और अवगत करवाया कि इस परियोजना की मंजूरी के समय इस विडियोग्राफी को भी देखा जाएगा और रास्ते की समस्या का मुददा भी देखा जाएगा तो कमेटी भी इस क्षेत्र की खनन पटटों के द्वारा रास्ते बनवाने के लिए मामले को भेज सकती है। इसके अतिरिक्त परियोजना के मालिक की तरफ से आश्वशत करवाया कि जब भी कमेटी में इस पर्यावरण मंजूरी में शमशान घाट के निर्माण हेतू कारपोरेट सोशल रिसपोन्सविलटी में

			कार्य करने हेतू भी आग्रह किया जाएगा। ताकि रास्ते का निर्माण किया जा सके।
7.	श्री रतन सिंह, गांव व डाकघर कायला, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यह प्रस्तावित खनन पटटा तो निजी भूमि में है परन्तु सोकनवेला से वटराह तक के 03 कि0मी0 के चक्की क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में खनन किस की अनुमति से हो रहा है और जैसा कि बताया गया कि अभी खनन बंद है परन्तु वहां पर अभी भी खनन हो रहा है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया कि यह अवैध खनन हो सकता है। अतः आप इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग से कर सकते है। खनन अधिकारी द्वारा श्री रतन सिंह से उक्त क्षेत्र को हमारे फील्ड अधिकारी को साथ मौका करवाने का अनुरोध किया और कहा कि इसका स्वयं भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अवैध खनन पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ सीमा दो राज्य की सीमा में होने के कारण भी कार्यवाही अमल में लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर कुछ खनन पटटे भी आंवटित किए गये है और यदि निरीक्षण करने पर अवैध खनन पाया जाता है तो उस पर नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
8.	श्री अनिल शर्मा स्पुत्र श्री सुख राम शर्मा, गांव एवं डाकघर कायला, तहसील व जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि श्री रतन सिंह जी जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह पेल में है और वह चक्की क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है और वह इस क्षेत्र के लम्बरदार भी है। वहां पंजाब के लोग अवैध खनन करते हैं और अभी भी वहां पर काफी अवैध खनन हो रहा है। इसके बारे कई विडियो भी बने है परन्तु उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि आप उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की जानकारी हेतू मुझसे सम्पर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नियमों के अनुरुप खनन होने का समर्थन किया। उन्होंने अनुरोध किया कि खनन से होने वाली आय का पैसा पंचायत को मिलना चाहिए, ताकि हमारी पंचायतों का विकास हो सके।	खनन अधिकारी द्वारा बताया कि यह क्षेत्र दो राज्य की सीमा में होने के कारण भी कार्यवाही अमल में लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है उसमें अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने श्री अनिल कुमार को आश्वशत किया कि उक्त क्षेत्र में अवैध खनन पर आगामी कार्यवाही हेतू सम्पर्क किया जाएगा। खनन अधिकारी द्वारा बताया कि जिस भी क्षेत्र में खनन पटटा आबटित होता है उस पंचायत में 10 रु0 प्रति टन पर पंचायत कर पंचायत में जमा होता है। और यह पैसा खनन विभाग से पंचायत निधि में जाता है जिसके लिए सम्बन्धित जिला पंचायत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते है। इसके अतिरिक्त जिला मिनरल फंड के तहत 10 रु प्रति टन के हिसाव से 03 कि0मी0 के खनन पटटे के दायरे में

			पंचायतों के विकास पर खर्च कर सकते है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप पंचायत में प्रस्ताव डालकर उपायुक्त महोदय को भेज सकते है ताकि पंचायत के विकास कार्यां पर उस राशि का खर्च किया जा सके। इसके लिए आप खनन विभाग के कार्यालय में आकर जानकारी भी ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भीसुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए गए और यहां पर मुख्यः मुददा शमशान घाट के लिए रास्ते का है। इसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि यह मुददा मुख्यतः एस0डी0एम0 कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग व रास्त बन विभाग की भूमि में होने के कारण बन विभाग से सम्बन्धित है। उन्होंने अवगत करवाया कि रास्ते के लिए सभी सम्बन्धित विभागों से मामला उठाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलियों को डलवाने के लिए फंड हेतू आप एक प्रस्ताव तैयार कर पंचायत के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ताकि जिला मिनरल फंड से पुलियों हेतू पैसा स्वीकृत करवाया जा सके। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकृत विभागों से अवैध खनन हेतू कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जल शक्ति विभाग से इस क्षेत्र में भूमि की सिचांई के सम्बन्ध में उठाए गये मुददों पर मौका देखकर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि आपके द्वारा इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं, उसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारीगण एवंगांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 राहुल शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

अरुण शर्मा (हि0प्र0से0)
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
नूरपुर,
जिला कांगडा (हि.प्र.)